सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2024 / 79 दर्ज तिथिः–01.05.2024

1. स्वरूप कुमार पुत्र चनणाराम
   जाति सोनी निवासी सुनारों की ढाणियां, दूधूतहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रकाश पुत्र चनणाराम
2. मीरों देवी पत्नी चनणाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र जवारााराम
4. किशनलाल पुत्र जवारााराम
5. चूनाराम पुत्र जवारााराम
6. बाबूलाल पुत्र जवारााराम
7. सोमाराम पुत्र जवारााराम
8. जमना पत्नी जवारााराम
9. गुणेशाराम पुत्र कानाराम
10. धर्माराम पुत्र कानाराम
11. रामलाल पुत्र कानाराम
12. मीरों देवी पत्नी कानाराम
13. तेजाराम पुत्र गुमनाराम
14. तुलछाराम पुत्र गुमनाराम
15. नथाराम पुत्र गुमनाराम
16. सुखदेव पुत्र रूपाराम
17. भभूताराम पुत्र रूपाराम
18. अमरू पत्नी रूपाराम
19. भैराराम पुत्र लखाराम
20. चम्पालाल पुत्र लखाराम
21. बंशीलाल पुत्र लखाराम
22. डूंगराराम पुत्र लखाराम
23. मेथी पत्नी लखाराम
    जाति सुनार निवासी सुनारों की ढाणियां ,दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

.................अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:48:54 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री हापूराम
अप्रार्थीगणः–एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–03.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 19 हाल खसरा नम्बर 388 / 6.1269 है0,393 / 0.9793 है0,428 / 0.0324 है0,429 / 1.2221 है0,466 / 0.7284 है0,469 / 2.9137 है0,मेंप्रार्थी 1 / 60 हिस्से का खातेदारमौजा सुनारों की ढाणियां पटवार मण्डल दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076में खाता संख्या 19में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र चनणारामअंकित है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम स्वरूप कुमार पुत्र चनणाराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम स्वरूप कुमार पुत्र चनणाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगणअनुपस्थित लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में स्वरूप कुमार पुत्र चनणाराम के स्थान पर प्रकाश पुत्र चनणाराम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रकाश पुत्र चनणारामदुरूस्त कर सही नाम स्वरूप कुमार पुत्र चनणारामदर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2073–2076वाके ग्राम सुनारों की ढाणियां,दूधूके नवीन खाता संख्या 19का विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:48:54 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
प्रकाश पुत्र चनणाराम	1/60	388 मौजा सुनारों की ढाणियां 393 मौजा सुनारों की ढाणियां 428 मौजा सुनारों की ढाणियां 429 मौजा सुनारों की ढाणियां 466 मौजा सुनारों की ढाणियां 469 मौजा सुनारों की ढाणियां	6.1269 है0 0.9793 है0 0.0324 है 1.2221 है0 0.7284 है0 2.9137 है0

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः—

दस्तावेज का विवरण	नाम
जनाधार कार्ड	स्वरूप कुमार पुत्र चनणाराम
मूल निवास	स्वरूप कुमार पुत्र चनणाराम
आधार कार्ड	स्वरूप कुमार पुत्र चनणाराम
उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र	स्वरूप कुमार पुत्र चनणाराम

6. प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. *(....)* **प्रकाश पुत्र चनणाराम एवं स्वरूप कुमार पुत्र चनणाराम** *दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है।*
   2. *प्रार्थी का जनाधार कार्ड, मूल निवास, आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र आदि में नाम स्वरूप कुमारपुत्र चनणाराम अंकित है तथा प्रार्थी को* ***स्वरूप कुमार पुत्र चनणाराम****नाम से ही जाना जाता है।*

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रकाश पुत्र चनणाराम व स्वरूप कुमार पुत्र चनणारामदोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम स्वरूप कुमार पुत्र चनणाराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यतित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **प्रकाश पुत्र चनणाराम**को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **स्वरूप कुमार पुत्र चनणाराम**का

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:48:54 IST
Reason: SelfAttested

अंकन करने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्नाको भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 03.01.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:48:54 IST
Reason: SelfAttested